(b) if so what are the details thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR) : (a) and (b) Modernisation of the Armed Forces is an ongoing process which takes into account the changing threat scenario as well as the availability of resources. Measures to modernise our Forces to meet the potential threats of modern day warfare are not based on any foreign model. plans are prepared to take appropriate measures to ensure effective defence preparedness to meet assessed security threats.

The details of modernisation Plan of our Armed Forces cannot be divulged in the national security interest.

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

1253. **मौलाना अबेदुल्ला खान आज़मी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की अपनियोजन की नीति के अनुसार सीएमसी लिमिटेड नामक इलेक्ट्रोनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के 16.685 प्रतिशत शेयर वित्तीय संस्थानों को बेचे गए हैं।

अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए ब्याज-रहित ऋण

1254. **डा० बापू कालदाते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निजी फर्मों को अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए ब्याज-रहित ऋण देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन-किन किन क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा और

(ग) यह ऋण देने के लिए कौन-कौन से निबंधन और शर्तें होंगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की विभिन्न विकास परिषदों द्वारा पता लगाए गए प्रौद्योगिकी के अन्तराल वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर धन-राशि उपलब्ध कराने के मामले में यह योजना समान रूप से लागू होंगी। इस संबंध में तैयार किए गए विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों में निम्न-लिखित शामिल हैं :—

(i) बैंक की गारन्टी से ब्याज रहित ऋण ;

(i) बैंक का गारन्टी से ब्याज रहित ऋण ;

(ii) सरकार के पास पहले ही उपलब्ध मूल संरचनात्मक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना जैसे कि मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एस०टी०क्यू०सी०) कार्यक्रम, इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्य संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं आदि में विभिन्न अनुसंधान तथा विकास सहायता के जरिए खरीदे गए प्रमुख उपस्करों का अधिक से अधिक उपयोग करना ;

(iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण मंजूर करना :—

(क) ऐसी परियोजनाएं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र समान रूप से अंशदान करता हो ।

(ख) ऐसी परियोजनाएं जिनमें विपणन का समय न्यूनतम हो ।

(ग) ऐसी परियोजनाएं जिनमें निर्यात-वृद्धि की संभावना हो ।

(घ) ऐसी परियोजनाएं जिनमें इलेक्ट्रानिकी विभाग अपने कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराता हो ।

1255. [*Transferred to the 16th March, 1992*]

Import by Coca Cola joint venture project

1256. SHRI DIPEN GHOSH : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether the Coca Cola project propose to import potatoes, nuts, cooking oils and spices;

(b) whether the import of proprietory ingredients (beverage essence, secret formula, etc.) has been allowed for manufacturing Coca Cola concentrate; and

(c) what are the reasons for not allowing Pepsi to import proprietory ingredients for their soft drinks concentrate ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISFRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) The Joint Venture Project that has been approved envisages import of the raw-materials required for manufacture of processed snack foods, nuts, stackable potato chips as per the import policy prevalent from time to time.

(b) The Joint Venture Project envisages import of essential flavouring essences as raw-materials against Actual Users (Industrial Licences) for blending with the locally procured raw-materials to produce non-alcoholic beverages, essences and bases.

(c) During the examination of the proposal submitted by M/s Punjab Agro Industries Corporation, the applicant M/s Punjab Agro Industries Corporation changed its original proposal and sought no special import concessions,; and it was noted that only those raw-materials not indigenously available would be imported by them under the import policy in vogue. Accordingly such a condition was put as per the prevalent practice.

Pepsi Foods for change in terms and conditions

1257. SHRI DIPEN GHOSH : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Business and Political Observer' dated 10th February, 1992 captioned 'Pepsi moves FIPB for changes in terms';

(b) if so, whether Pepsi Foods has approached the FIPB to change the terms and conditions of their original approval;